निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
104/2024	12.8.2024	16-1-2026

रामबाबू पुत्र रामखिलाडी, गुर्जर निवासी सालोदा तह0 गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

1. गोविन्द पुत्र रामखिलाडी, गुर्जर निवासी सालोदा तहसील गंगापुर सिटी
2. नेमीचन्द पुत्र रामखिलाडी, गुर्जर निवासी सालोदा तहसील गंगापुर सिटी
3. शांति देवी पत्नी रामखिलाडी, गुर्जर निवासी सालोदा तह0 गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री सन्तोष कुमार वर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 610/425 रकबा 0.21 है0 एवं ख0नं0 611/424 रकबा 0.02 है0 ग्राम सालोदा तहसील गंगापुर सिटी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/4-1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने भूमि का वाहमी रूप से विभाजन किया हुआ है एवं वादी इसी अनुसार भूमि के 1/4 हिस्से पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी के हिस्से में आई 1/4 हिस्से की से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है परन्तु वे आये दिन भूमि के सीमा चिन्हों को लेकर विवाद करते रहते हैं। दिनांक 9.7.2023 को प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से में आई भूमि में से 30 गुणा 80 फीट भूमि में नींव खोदकर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया । वादी ने प्रतिवादीगण से मना किया तो प्रतिवादीगण ने भूमि से वादी को बेदखल करने की धमकी दी। प्रतिवादीगण भूमि में जबरन प्लाट काटकर भूमि की किस्म परिवर्तित करने पर उतारू हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0नं0 610/425 रकबा 0.21 है0 एवं ख0नं0 611/424 रकबा 0.02 है0 ग्राम सालोदा तहसील गंगापुर सिटी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जावे व अलग अलग जमाबंदी कायम की जाकर नक्शा ट्रेस व रिकार्ड्स में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण [illegible] निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि विभाजन के बाद भूमि ख0नं0 610/425 रकबा 0.21 है0 एवं ख0नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:46 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

611/424 रकबा 0.02 है0 ग्राम सालोदा तहसील गंगापुर सिटी में से वादी को प्राप्त होने वाली भूमि के उपयोग उपभोग, कब्जे काश्त में वादी को किसी प्रकार से ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें ना किसी अन्य से करावें तथा वादी को भूमि से बेदखल नहीं करें। बिना विभाजन भूमि में से किसी भूखण्ड का बेचान नहीं करें व मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर की ओर से वादपत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 92 ग्राम सालोदा प्रस्तुत की है।

प्रकरण मे वकील वादी की बहस सुनी जाकर 17.2.2025 वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी से वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक भूअ/25/494 दिनांक 17.11. 2025 द्वारा विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर वादी के अभिभाषक को सुना गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. रामबाबू पुत्र रामखिलाडी,गुर्जर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 611/424/1 रकबा 0.01 है0, ख0न0 610/424/1 रकबा 0.045 कुल रकबा 0.0575 है0 ग्राम सालोदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।
2. नेमी चंद पुत्र रामखिलाडी, गुर्जर सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 610/425/3 रकबा 0.0575 है0, ग्राम सालोदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।
3. गोविन्द पुत्र रामखिलाडी, गुर्जर सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 611/424/2 रकबा 0.01 है0, ख0न0 610/424/2 रकबा 0.0475 है0 कुल रकबा 0.0575 है0 ग्राम सालोदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

रामबाबू बनाम गोविन्द वगैरा, दावा

4. शांतिदेवी पत्नी रामखिलाडी, गुर्जर सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 610/425/4 रकबा 0.0575 है0, ग्राम सालोदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक रहन सम्बधित खातेदारान के नाम यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16-1-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 10:32:46 IST
Reason: SelfAttested